# FIRST INFORMATION REPORT
## (Under Section 173 B.N.S.S)

# प्रथम सूचना रिपोर्ट
## (धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Panchkula **Year (वर्ष):** 2025

**FIR No. (प्र.सू.रि. सं.):** 0014 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 29/09/2025 17:31 hrs

2.

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धारा(एँ)) |
|---|---|---|
| 1 | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 13(2) |
| 2 | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 13(1)E |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 03/12/2004 **Date To (दिनांक तक):** 19/01/2016

**Time Period (समय अवधि):** **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 29/09/2025 **Time (समय):** 16:40 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 014 **Date and Time (दिनांक और समय):** 29/09/2025 17:07 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** NORTH-EAST, 2 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

**(b) Address (पता):** हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण,सैक्टर-6 पंचकुला

**(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):**

**District (State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** INSP VARINDER KUMAR CP17

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 25/01/1973 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

**Date of Issue (जारी करने की दिनांक):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

| S. No. (क्र.सं.) | ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) | ID Number (पहचान संख्या) |
|---|---|---|

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

| S.No. (क्र.सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | **Present Address** | **PS SV AND ACB PKL, ACB, Panchkula, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA** |
| 2 | **Permanent Address** | **PS SV AND ACB PKL, ACB, Panchkula, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA** |

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9416316962

**7.** **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

| S. No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Present Address(वर्तमान पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रामनिवास सहायक लेखाकार कार्यालय हरियाणा शहरी विकास प्राधीकरण पंचकूला | | Father's Name: श्री धर्मपाल | 1. HNO 177 SECTOR 8,PANCHKULAPANCHKULA,HARYANA,INDIA |

**8.** **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

**9.** **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

| S. No. (क्र.सं.) | Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**10.** **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

**11.** **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

| S. No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.) |
|---|---|

**12.** **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

नकल लेख इस प्रकार से है

सेवा में,

प्रबंधक थाना,
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
सैक्टर-17, पंचकूला।

श्री मान जी,

जांच क्रमांक 02 दिनांक 19.01.2016 अम्बाला महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो अब रा. चौ एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो. हरियाणा, पंचकुला द्वारा दर्ज रजिस्टर करके मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग को पत्र क्रमांक 978/आई-2/एस.वी.बी. (एच) दिनांक 20.01.2016 लिखा गया व कार्यालय महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो अब रा.चौ एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के पत्र पृष्ठांकन 979/आई-2/एस.वी.बी. (एच) दिनांक 20.01.2016 व कार्यालय उप महानिरीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो अब रा.चौ एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला मण्डल पंचकूला के डायरी क्रमांक 19/आर/डी.आई.जी दिनांक 20.01.2016 के अनुसार जांच हेतू प्राप्त हुई थी और यह जांच आसूचना रिपोर्ट के आधार पर दर्ज की गई थी। आसूचना रिपोर्ट में अन्य आरोप के अतिरिक्त यह आरोप भी था कि श्री रामनिवास, तत्कालीन सहायक लेखाकार, कार्यालय हुड्डा सैक्टर-6 पंचकूला के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करके नाजायज तरीके से राशि कमाकर एक कोठी न. 177/8 पंचकूला में 3.50 करोड़ में खरीद की, एक प्लाट 8 मरले का हुड्डा सैक्टर कांलावाली सिरसा में खरीद किया, एक दुकान 30 लाख रू० में हिमशिखा पिंजौर में खरीद की, इन्दिरा कॉलोनी टोहाना रोड नरवाना में 6 एस.सी.एफ 300 गज जिसकी प्लाट सहित कीमत एक करोड में खरीद की, गांव बाता जिला कैथल में एन.एच. -65 के साथ 4 एकड कृषि भूमि 02 करोड में खरीद की, गांव सदलाना जिला हिसार में दो एकड भूमि 60 लाख रू० में खरीद की, नरवाना से टोहाना रोड पर एक प्लाईवुड यूनिट में 50 करोड रू० लगाये । करनाल के हुड्डा सैक्टर में एक कनाल का प्लाट कीमत 1.50 करोड रू० में खरीद किया, एक प्लाट गांव सकेतडी जिला पंचकुला मे 30 लाख रुपये मे खरीद किया । जिला करनाल व यमुनानगर के शराब के ठेको में बेनामी हिस्सा डाला, एक एल्टो कार खरीद की, एक डस्टर कार न. एच.आर. -03-7770 खरीद की, एक फॉरचूर्नर कार खरीद करने पर 25 लाख रू० में खरीद की व कार का नम्बर वी.आई.पी लेने के लिए 6 लाख रू० खर्च किया व एक करोला कार न. एच.आर.-03टी-7770 कीमत 18 लाख रू० में खरीद की तथा गांव सदलाना जिला हिसार में अपने साले टोनी के नाम मकान, हुड्डा कैथल में प्लाट खरीद किया, अपने भाई को टैक्टर-ट्राली खरीद करके दी व अपनी भाभी के नाम नरवाना व कैथल में काफी पैसा इन्वैस्ट किया, अपने घर के लिए कीमती समान खरीद किया है व इसके परिवार के सदस्यो के नाम बैंक खाते व लॉकर है। आरोप की पड़ताल पर पाया गया कि श्री रामनिवास पुंत्र धर्मपाल निवासी इन्दिरा कालोनी नरवाना जिला जींद हैफेड विभाग में दिनांक 03.12.2004 से 31.12.2007 तक नियुक्त रहा है और दिनांक 07.12.2007 को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग हरियाणा पंचकूला से लेखा सहायक के पद पर चयनित होने पर श्री रामनिवास उपरोक्त ने दिनांक 02.01.2008 को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में उक्त पद पर पदभार ग्रहण किया । प्रतियादी रामनिवास ने वर्ष 2017 में सरकारी सेवा से स्वेच्छिक सेवानिवृत ली और वर्ष 2019 में हरियाणा विधानसभा के हुए चुनावो में श्री रामनिवास नरवाना हल्का से विधायक चुने गये थे और वर्ष 2024 तक नरवाना के विधायक रहे है। जांच पर दिसम्बर 2004 से जनवरी 2016 तक श्री रामनिवास, तत्कालीन सहायक लेखाकार, कार्यालय हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला पुत्र श्री धर्मपाल निवासी इन्दिरा कालोनी नरवाना जिला जींद ने अलग-अलग इकरारनामो के माध्यम से श्री हरी राम पुत्र राधे श्याम वासी नरवाना से अपनी पत्नी श्री मति मनजीत के नाम पर इन्दिरा कलोनी नरवाना में दिनांक 13.01.2006 को एक प्लाट न. 66 रकबा 95.38 वर्ग गज का प्लाट 35,000 रु में श्री राधेश्याम पुत्र श्री गोविंद राम निवासी नरवाना से अपनी पत्नी श्री मति मनजीत के नाम पर इन्दिरा कलोनी नरवाना में दिनांक 13.01.2006 को दो प्लाट न. 67 व 68 रकबा 190.61 वर्ग गज दोनो प्लाट 70,000 रु० में और अब श्री सतीश कुमार पुत्र राम कुमार पुत्र श्री चंचल निवासी नरवाना से अपनी पत्नी श्री मति मनजीत के नाम पर दिनांक 05.06.2007 को एक प्लाट रकबा 50 वर्गगज 59,000 रु० मे अब खरीद किये है। श्री रामनिवास उपरोक्त द्वारा वसीका न. 7131 दिनांक 02.02. 2011 के अनुसार इंन्दिरा कालोनी नरवाना में एक प्लाट रकबा 100 वर्ग गज स्टाम्प डियुटी प रजिस्ट्रेशन फीस सहित 1,29,400 रू० में, प्रतिवादी रामनिवास की पत्नी श्री मति मनजीत व श्री मति गीता पत्नी सुरेन्द्र कुमार द्वारा वसीका न. 7113 दिनांक 06.02.2015 के अनुसार इन्दिरा कालोनी नरवाना में एक प्लाट रकबा 106 वर्ग गज स्टाम्प डियुटी व रजिस्ट्रेशन फौत्स सहित 19,10,500 रु0 में जिस पर श्री रामनिवास द्वारा अपनी पत्नी के हिस्से के 9,55,250 रू० खर्च किये गये, प्रलेख न. 4890 दिनांक 04.11.2011 के अनुसार अपने नाम से इंन्दिरा कालोनी नरवाना में एक प्लाट रकबा 140 वर्ग

गज स्टाम्प डियुटी व रजिस्ट्रेशन फीस सहित 2,70,640 रू० में, प्रलेख न. 4891 दिनांक 04.11.2011 के अनुसार अपने नाम से इंन्दिरा कालोनी नरवाना में एक प्लाट रकबा 77.6 वर्ग गज स्टाम्प डियुटी व रजिस्ट्रेशन फीस सहित 1,50,800 रू0 में, वसीका न. 4994 दिनांक 18.11.2014 के अनुसार अपनी पत्नी श्री मति मनजीत इंन्दिरा कालोनी नरवाना में एक प्लाट रकबा 99 वर्ग गज स्टाम्प डियुटी व रजिस्ट्रेशन फीस सहित 4,69,300 रू० में, वसीका न. 429 दिनांक 20.07.2012 के अनुसार गांव इस्लामनगर तहसील कालका जिला पंचकूला में एक प्लाट रकबा 50 वर्ग गज स्टाम्प डियुटी प रजिस्ट्रेशन फीस सहित 3,75,500 रू0 में अपने व श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सिरी राम गांव कंवारी तहसील हांसी जिला हिसार के नाम पर खरीद किया जिसमें श्री रामनिवास ने अपने हिस्से के 1,87,750 रू० उपरोक्त प्लाट पर खर्च किये, वसीका न. 110 दिनांक 17.04.2015 के अनुसार खरक पाण्डवा जिला कैथल में अपनी पत्नी श्रीमति मनजीत के नाम 25 कनाल 12 मरले भूमि स्टाम्प डियुटी व रजिस्ट्रेशन फीस सहित 92,43,800 रू० में, प्रलेख न. 365 दिनांक 15.05.2015 के अनुसार म.न. 177 सैक्टर 8 अर्बन इस्टेट पंचकूला रकबा 209 वर्ग गज कवर्ड क्षेत्र 313.02 वर्ग मीटर (भूमितल, प्रथम व द्वितिय तल) अपने व अपनी पत्नी के नाम स्टाम्प डियुटी व रजिस्ट्रेशन फीस, टी.डी.एस सहित कुल 1,87,40,000 रू0 में व वसीका न. 5262 दिनांक 24.11.2015 के अनुसार गादड पटटी कैथल में एक प्लाट रकबा 54 वर्ग गज स्टाम्प डियुटी व रजिस्ट्रेशन फीस सहित 5,36,000 रू0 में खरीद किया। श्री रामनिवास द्वारा वर्ष 2009 में एक अल्टो मारूति कार न. HR03K-5777 खरीद करने पर रजिस्ट्रेशन फीस सहित 2,65,789 रू० खर्च किये है और उक्त कार खरीद करने के लिए दिनांक 24.07.2009 को युनियन बैंक ऑफ इण्डिया, सैक्टर-8, पंचकुला से 2,08,500/- रुपये का ऋण लिया जाना पाया गया व वर्ष 2014 तक बैंक में 2,86,300 रू० बैंक का ऋण वापिस बैंक में जमा करवाया गया है और रिनालट डस्टर कार न. HRO3K-5777 खरीद करने पर रजिस्ट्रेशन फीस सहित 10,34,702 रू० खर्च किये और उपरोक्त कार खरीद करने के लिए युनियन बैंक ऑफ इंडिया शाख सैक्टर-8 पंचकूला से 6.77,000 रू0 का ऋण प्राप्त किया गया था और जनवरी 2016 तक बैंक में 3,35,667 रू० बैंक का ऋण वापिस बैंक में जमा करवाया गया है। श्री रामनिवास द्वारा जांच में अंकित करवाये गये कथनानुसार उस द्वारा वर्ष 2011 में 3,00,000 रू. शेयर खरीद करने पर खर्च किये गये थे और श्री मति मनजीत द्वारा अपने ग्लोब कैपीटल मार्किट लि. में 20,00,000 रु० व 7,50,000 रू० की राशि निवेश की गई है। उसकी पत्नी के कथनानुसार व युनियन बैंक आफ इंडिया के खाता न. 499302010013197 की खाता विवरणी के अनुसार अपने भाई अलोक को 12,00,000 रू० उधार दिये थे और श्री रामनिवास द्वारा अपने सेवाकाल में प्राप्त किये गये कुल वेतन 22,95.603 में से 33 प्रतिशत 7,65,201 रू० खर्चा करना माना गया है। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा दिसम्बर 2004 से जनवरी 2016 तक 3,77,84,599 रु खर्च किया गया है।

जांच पर श्री राम निवास को वर्ष 2005 में उसके पिता द्वारा गांव में अपने प्लाट को 1,60,000 रू० में बेचने पर उसके हिस्से में आये 80,000 रू०, उसके पिता जी की मृत्यु वर्ष 2009 में होने उपरांत उसके हिस्से में आई 2 भैसो को बेचने से 2,27,000 रू. उसके हिस्से में आया कुरडी खडड़ा बेचने से 1,30,000 रु० व उसके हिस्से में आई 7 कनाल पुश्तैनी जमीन को वर्ष 2009 से 2014 से तक ठेका पर देने से प्राप्त हुए 1,90,000 रू०, गांव सुरजाखेडा में अपने हिस्से में आए मकान को बेचने पर 7,50,000 रू०, अलग-अलग इकरारनामो के माध्यम से इन्दिरा कलोनी नरवाना में खरीद किये गये प्लाट न० 66 को बेचने पर 6,50,000 रु० प्लाट न. 67 व 68 को बेचने से 13,00,000 रु०, अपने भाई सुरेन्द सिंह से 1,60,000/- रु० उधार प्राप्त करने पर, शादी में प्राप्त हुए सोने के जेवरात अमित ज्वलैर्स प्रीतम पुरा, दिल्ली को बेचने पर 155.800 ग्रा. सोने के जेवरात की एवज में 9,36,540 रू० व 375.710 ग्रा. सोने के जेवरात की एवज में 7,88,991 रू० प्राप्त होने पर, अल्टो मारूति कार न.HRO3K-5777 खरीद करने के लिए युनियन बैंक ऑफ इण्डिया, सैक्टर-8, पंचकुला से 2,08,500/- रुपयें का ऋण लेने पर व उक्त कार को श्री दिलबाग सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र वासी गांव लोन खन्नापत्ती, खरल रोड़ नरवाना जिला जीन्द को बेचने पर 1,85,000/- रु० व रिनालट डस्टर न. HRO3K-5777 खरीद करने के लिए युनियन बैंक ऑफ इण्डिया, सैक्टर-8, पंचकुला से 6,77,000/- रुपये का ऋण लेने पर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से 5,52,800 ऋण व कम्पयूटर एंडवास 30,000 रू० प्राप्त होने से, श्री राम निवास द्वारा वर्ष 2001 से 2016 तक बतौर बीमा एजेंट कार्य करने से कार्यालय जीवन बीमा निगम नरवाना से प्राप्त हुई कमीशन 1,63,464 रू० व अपने हैफड व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में सेवाकाल के दौरान प्राप्त हुए वेतन से 22,95,603 रू0 की आय हुई है। इसके अतिरिक्त श्री रामनिवास की पत्नी श्रीमति मंजीत द्वारा श्री ऐरन मार्केटिंग प्रा. लिमिटेड के माध्यम से शेयरों में पैसा निवेश करने से श्री मति मंजीत के यूनियन बैंक के खाता न.499302010013197 में दिनांक 02.03.2015 को 2,60,400/- रुपयें, दिनांक 11.03.2015 को 2,45,613/- रुपयें तथा दिनांक 14.05.2015 को

3,50,660/- रुपयें व ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड के माध्यम से शेयरों में निवेश करने से उक्त खाता में दिनांक 07.05.2015 को 24,99,000 रू0 व 28.09.2015 को 1004 रू० और श्री रामनिवास के ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड के माध्यम से शेयरों में निवेश करने से यूनियन बैंक आफ इंडिया के बैंक खाता न. 499302010011187 में दिनांक 11.05.2015 को 12,50,000 रू० व दिनांक 12.05.2015 को 12,85,000 प्राप्त हुए है जो परन्तु श्री रामनिवास व उसकी पत्नी द्वारा किन-किन कम्पनियों के माध्यम से कितनी कितनी राशि शेयरों में निवेश की गई है, के बारे में अनुसंधान के दौरान तसदीक किया जाना है। प्रतिवादी की पत्नी मंजीत के यूनियन बैंक आफ इंडिया के बैंक खाता न. 499302010013197 में दिनांक 25.02.2015 को में थर्मोसैट इण्डिया कम्पनी के खाता से 5,00,000/-रुपयें, दिनांक 26.02.2015 को श्री श्याम ट्रेडर्ज के खाता से 2,03,480/- रुपयें व क्विकटेक इन्फो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जी-23/89 सेक्टर-7 रोहिणी नई दिल्ली से 4,06,791 /- रूपये मिडिल ईस्ट होटल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से 5,17,500 रू०, गोहर होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-15 द्वितीय तल हौज खास नई दिल्ली से 3,72,600 रू०. श्री मति मंजीत के बैंक खाता में दिनांक 07.03.2015 को मु० 01.06,500/- रू०, दिनांक 10,03.2015 को 01,37,088/- रू० आई.डी.बी.आई. बैंक, दिल्ली से, दिनांक 18.09.2015 को मु० 02,70,000/- रू० युनाईटिड कार्गा एण्ड ट्रैसलैस दिल्ली से प्राप्त हुए है। इस प्रकार श्री रामनिवास को 1,77,30,514 रू0 की राशि आय के रूप में प्राप्त हुई है। जिनको श्री रामनिवास की आय में शामिल किया गया परन्तु उपरोक्त प्राप्त हुई राशि के बारे में अनुसंधान के दौरान तसदीक किया जाना है। इसके अतिरिक्त श्री रामनिवास ने सुशील कुमार गोयल पुत्र महावीर प्रसाद गोयल निवासी प्लाट न. 310 कोहट इंक्लेव पीतमपुरा दिल्ली से 10,00,000 रु०, श्री राजबीर सिंह पुत्र बलिया राम निवासी राजौंद जिला कैथल से 25,00,000 रू., श्री मति शशी पत्नी श्री राजबीर निवासी राजौंद जिला कैथल से 20,92,000 रू०, औम प्रकाश पुत्र श्री राम कुमार वासी गांव सुरजाखेडा तहसील नरवाना जिला जींद से 22,87,297/- रुपयें व श्री संजीव वर्मा पुत्र श्री प्रेम लाल वासी मकान न0 480 सैक्टर-9 पंचकुला के खाता से 2,00,000 रू० व सतीश चहल पुत्र धर्मवीर गांव मोहलखेडा तहसील नरवाना जिला जींद से 25,00,000 रू० उधार प्राप्त किये है। इसी प्रकार श्री रामनिवास की पत्नी श्री मति मनजीत ने श्री निर्मल कुमार पुत्र श्री तेजराम वासी छन्तासूफी, महादेव, दिल्ली से 5,00,000/- रुपयें, श्री औम प्रकाश पुत्र श्री राम कुमार वासी गांव सुरजाखेडा तहसील नरवाना जिला जींद से 19,21,000/- रुपयें, ओम प्रकाश उपरोक्त की पत्नी श्री मति प्रेमो से 15,76,000 रू०, श्री मति शशी पत्नी श्री राजबीर निवासी राजौंद जिला कैथल से 18,82,000 रु०, श्री संजीव वर्मा पुत्र श्री प्रेम लाल वासी मकान न० 480 सैक्टर-9 पंचकुला से 2,30,000 रु० उधार प्राप्त किये है। इस प्रकार श्री रामनिवास व उसकी पत्नी श्री मति मंजीत द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों से 1.66.88.297 50 की राशि उधार ली गई है जोकि जांच के दौरान संदेहजनक पाई गई है इसलिए उपरोक्त राशि का लाभ श्री रामनिवास को नही दिया गया है।

जांच के दौरान कार्यालय तहसील नरवाना से प्राप्त की गई वसीका न. 5770 दिनांक 26.11. 2015 के अनुसार प्रतिवादी के साले अलोक राज पुत्र श्री ईश्वर सिंह वासी सन्दाला तहसील बरवाला जिला हिसार ने श्री दलबीर सिंह पुत्र श्री गुलजार सिंह वासी रसीदा तहसील नरवाना जिला जींद से 66 कनाल 18 मरले मु० 1,42,24,000 रु० में खरीद की गई है और उपरोक्त भूमि को प्रलेख न. 1016 दिनांक 29.05.2017 के अनुसार अलोक राज द्वारा अपनी बहन मंजीत पत्नी प्रतिवादी रामनिवास के नाम पर बल्ड रिलेशन में की गई है तथा श्री मति मजीत द्वारा उपरोक्त भूमि को प्रलेख न. 4603 दिनाक 16.12.2019 के अनुसार श्री मति सुनीता पत्नी श्री सुमेर निवासी नांगल कला जिला सोनीपत को 1.29,69,000 रु० में बेची गई है। जो उपरोक्त भूमि प्रतिवादी रामनिवास की बेनामी सम्पति हो सकती है।

इस प्रकार जांच से पाया गया कि श्री राम निवास, सहायक लेखाकार कार्यालय हरियाणा शहरी विकास प्राधीकरण, सैक्टर-6, पंचकुला पुत्र स्व० श्री घर्मपाल वासी वार्ड नं0 3. इन्दिरा कालोनी, टोहाना रोड, नरवाना जिला जीन्द, हाल मकान न0 177, सैक्टर-8, पंचकुला का 03.12.2004 से 19.01.2016 तक कुल आय 3,44,18,811 रुपयें बनती है जिसमें प्रतिवादी व उसकी पत्नी श्री मति मंजीत द्वारा वर्ष 2015 में अन्य व्यक्तियों से 1,66,88,297 रू० उधार प्राप्त किया गया है जोकि जांच के दौरान संदेहप्रद पाया गया है जिसको गहनता से तसदीक किया जाना है और जिस कारण से इस उधार का लाभ नही दिया गया है तथा उपरोक्त कुल आय 3,44,18,811 रुपयें में से उधार ली गई राशि 1,66,88,297 रू० घटाने पर श्री रामनिवास की आय 1,77,30,514 रू० रह जाती है तथा श्री रामनिवास द्वारा इस समयावधि के दौरान 3.77.84.599 रुपये की राशि खर्च की गई है। इस प्रकार श्री रामनिवास द्वारा किये गये कुल खर्च 3,77,84,599 रु में से श्री रामनिवास की आय अपनी कुल आय 1,77,30,514 घटा दिये जाये तो

प्रतिवादी द्वारा रुपये से 2.00,54,085 रुपये की राशि अधिक खर्च की जानी पाई गई है। जांच के दौरान श्री रामनिवास के विरूद्ध अवैध साधनों से आय से अधिक सम्पति अर्जित करने बारे आरोप प्रथम दृष्टय पर सही पाये गये है। जिस पर श्री रामनिवास, सहायक लेखाकार, कार्यालय हरियाणा शहरी विकास प्राधीकरण, पंचकूला पुत्र श्री धर्मपाल वासी वार्ड न० 3 इन्दिरा कालोनी नस्वाना जिला जीं हाल म.न. 177 सैक्टर-8 पंचकूला के विरूद्ध धारा 13 (1) (ई0) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, के तहत अभियोग दर्ज करने का सुझाव दिया गया था। अभियोग के अनुसंधान के दौरान श्री रामनिवास व उसकी पत्नी द्वारा वर्ष 2015 में श्री राजबीर सिंह व उसकी पत्नी श्री मति शशी, श्री ओम प्रकाश व उसकी पत्नी श्री मति प्रेमो, श्री सुशील गोयल, श्री निर्मल कुमार, श्री संजीव वर्मा, सतीश चहल से उधार में प्राप्त की गई राशियो बारे तथा दिनांक 07.03.2015 को मु० 01,06,500/- रू०, दिनांक 10.03.2015 को 01,37,088/-रू० आई.डी.बी.आई. बैंक, दिल्ली से, दिनांक 18.09.2015 को मु0 02,70,000/- रू० युनाईटिड कार्गा एण्ड ट्रैसलैस दिल्ली, थर्मोसैट इण्डिया कम्पनी, श्री श्याम ट्रेडर्ज, क्यिकटेक इन्फो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जी-23/89 सेक्टर-7 रोहिणी नई दिल्ली, मिडिल ईस्ट होटल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, गोहर होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-15 द्वितीय तल हौज खास नई दिल्ली से श्री मति मंजीत के खाता में प्राप्त हुई राशियो तथा श्री रामनिवास द्वारा बेचे गये 531.51 ग्रा. सोने के बारे और श्री रामनिवास द्वारा अलग-अलग इकरानामो के माध्यम से अपनी पत्नी श्री मति मंजीत के नाम इन्दिरा कलोनी नरवाना में खरीदे गये व बेचे गये प्लाट न. 66, 67 व 68 के बारे में और प्रतिवादी व उसकी पत्नी द्वारा किन-किन कम्पनियों के माध्यम से कितनी-कितनी राशि शेयरों की खरीद फरोक्त में निवेश की गई है, के बारे में अनुसंधान के दौरान देख लेने का भी सुझाव दिया गया था। इसके अतिरिक्त जांच पर वसीका न. 5770 दिनांक 26.11.2015 के अनुसार प्रतिवादी के साले अलोक राज उपरोक्त 66 कनाल 18 मरले भूमि 1,42,24,000 रू० में खरीद करके प्रलेख न.1016 दिनांक 29.05.2017 के अनुसार अलोक राज द्वारा अपनी बहन मंजीत पत्नी प्रतिवादी रामनिवास के नाम पर ब्लड रिलेशन में की गई है तथा श्री मति मजीत द्वारा उपरोक्त भूमि को प्रलेख न. 4603 दिनांक 16.12.2019 के अनुसार को 1.29,69,000 रू0 में बेची गई है। जी उपरोक्त भूमि प्रतिवादी रामनिवास की बेनामी सम्पति होने बारे अभियोग के अनुसंधान के दौरान देख लेने का सुझाव दिया गया था। इस बारे अन्तिम रिपोर्ट महानिदेशक रा.चौ. एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला को कार्यालय रा.चौ एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकूला मंडल पंचकूल के पत्र क्रमांक 1124/एस.वी. एण्ड ए.सी.बी./पंचकूला दिनांक 05.09.2025 के अनुसार भेजी गई थी। जिस पर रा.ची. एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 18764/सीकेट/ए.सी.बी. (एच.) दिनांक 17.09.2025 के अनुसार उपरोक्त के विरूध उपरोक्त धाराओं के अंन्तर्गत अभियोग अंकित करने के आदेश प्राप्त हुये हैं। अतः श्री रामनिवास, सहायक लेखाकार, कार्यालय हरियाणा शहरी विकास प्राधीकरण, पंचकूला पुत्र श्री धर्मपाल वासी वार्ड न० 3 इन्दिरा कालोनी नरवाना जिला जीन्द हाल म.न. 177 सैक्टर-8 पंचकूला के विरूद्ध धारा 13(1) (ई0) R/W 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने के लिये लेख प्रस्तुत है । जिस पर अभियोग दर्ज करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां बतौर स्पैशल रिपोर्ट इलाका मैजिस्ट्रेट व उच्चाधिकारियों की सेवा में भिजवाई जाये तथा अभियोग की पुलिस मिसल व असल लेख आगामी अनुसंधान हेतु अन्य अनुसंधान अधिकारी के हवाले किया जाए । अज थाना राज्य सतर्कता एव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सैक्टर-17, पंचकुला ।

SD-वरिन्द्र कुमार
निरीक्षक वरिन्द्र कुमार,
थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सैक्टर-17, पंचकूला ।
दिनांक 29.09.2025 समय 4.40 PM

अज थाना- उपरोक्त तहरीर पर अभियोग न0 14 दिनांक 29.09.2025 धारा 13(1) (ई0) R/W 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 थाना राज्य चौकसी एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सैक्टर-17 पंचकूला अंकित करके स्पैशल रिपोर्ट ई. मेल के माध्यम से स्पैशल मैजीस्ट्रेट साहब, पंचकूला, जिला पंचकूला की सेवा में व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जा रही है । अभियोग के आगामी अनुसंधान हेतु उच्च अधिकारियों से आदेश प्राप्त करने उपरान्त अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया।

**13.** **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
**(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.** 2 में उल्लेख धारा के तहत है.**):**

**(1)** **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or ( या)**

**(2)** **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** VARINDER KUMAR **Rank (पद):** I (Inspector)

**No. (सं.):** 15 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

**(3)** **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

**(4)** **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).**

**F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)**

**R.O.A.C.**
**(आर.ओ.ए.सी.)**

**Signature of Officer in charge, Police Station**
**(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

**Name (नाम):** VIRENDER SINGH SANGWAN

**Rank (पद):** SP (Superintendent of Police)

**No. (सं.):** HPS

**14.** **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

**15.** **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Error: Subreport could not be shown.